रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062024-254551 CG-DL-E-05062024-254551

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 5, 2024/ज्येष्ठ 15, 1946

No. 290]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 5, 2024/JYAISHTHA 15, 1946

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2024

सा.का.िन. 311(अ).—केंद्रीय सरकार, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उप धारा (2) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रिजस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 के नियम 27 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्-

3382 GI/2024 (1)

- **"27. ई-परक्राम्य भांडागार रसीद अनिवार्य रूप से जारी करना -** (1) प्राधिकरण द्वारा अवधारित शर्तों और रीति के अध्यधीन, एक भांडागारपाल केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करेगा।
- (2) उपर्युक्त उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों को तैयार करने और उनके रखरखाव के लिए प्राधिकरण स्वयं निक्षेपागार के रूप में कार्य करेगा या एक या अधिक इकाईयों को निक्षेपागार के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगा।"

[फा. सं. 25-2020-भंडारण-II]

अनीता कर्ण, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.िन. 165(अ), तारीख 23 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्या सा.का.िन. 791(अ) तारीख 20 अक्तूबर, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2024

- **G.S.R. 311(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 50 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, namely:-
- 1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Amendment) Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, for rule 27, the following rule shall be substituted, namely:
- **"27. Mandatory issuance of e-negotiable warehouse receipt.**—(1) Subject to such conditions and the manner as may be determined by the Authority, a warehouseman shall issue negotiable warehouse receipts in electronic form only.
 - (2) For the purpose of sub-rule (1) above, the Authority may itself function as a repository or register one or more entities as repository, for creation and management of electronic negotiable warehouse receipts."

[F. No. 25-2020-Stg-II]

ANITA KARN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 165(E), dated the 23rd February, 2017 and last amended vide number G.S.R. 791(E), dated the 20th October, 2023.